गेल (इंडिया) लिमिटेड सुलह नियम, 2010

सुलह के माध्यम से विवादों के न्यायालय से बाहर, मध्यस्थता से बाहर, त्वरित एवं किफायती सौहार्दपूर्ण समझौते हेतु नियम

जबकि भारतीय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के भाग - III में सुलह के माध्यम से विवादों के वैकल्पिक समाधान हेतु विस्तार से प्रावधान किए गए हैं और जो भारत में सरकारी क्षेत्र की इकाईयों में प्रभावी विवाद समाधान युक्ति के रूप में उभर रहा है ।

जबकि गेल (इंडिया) लिमिटेड विवाद समाधान युक्ति के तौर पर उत्तरोत्तर सुलह पर ध्यान केन्द्रित कर रहा है और एतद्द्वारा विवादों के त्वरित, किफ़ायती और सौहार्दपूर्ण समाधान हेतु भारतीय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के भाग - III के पुष्टिकरण/अनुपूरक यह नियम बनाता है।

नियम 1 : संक्षिप्त शीर्षक

इन नियमों को गेल (इंडिया) लिमिटेड सुलह नियम, 2010 कहा जाएगा ।

नियम 2 : परिभाषाएं

(क) **"गेल"** का तात्पर्य गेल (इंडिया) लिमिटेड से है जिसका पंजीकृत कार्यालय 16, भीकाएजी कामा प्लेस, आर.के.पुरम, नई दिल्ली- 110066 में है ।

(ख) **"सुलहकर्ताओं का पैनल"** का तात्पर्य गेल निगमित विधि विभाग द्वारा चयनित और गेल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा अनुमोदित पात्र व्यक्तियों की उस सूची से है जो इन नियमों के अधीन सुलह की कार्यवाही में सुलहकर्ता के तौर पर कार्य करेंगे ।

(ग) **"पार्टी"** का तात्पर्य इन नियमों के अधीन परिभाषिक विधिक संबंध रखने वाली पार्टी से है, चाहे वह संविदित अथवा अन्यथा सुलह कार्यवाही में भागीदार हो ।

(घ) **"नियम"** का तात्पर्य गेल (इंडिया) लिमिटेड सुलह नियम, 2010 से है ।

(ङ) **"समझौता परामर्श समिति"** का तात्पर्य इन नियमों के नियम 5 (छ) के अधीन नियुक्त सुलहकर्ताओं की समिति से है ।

(च) **"कार्य दिवस"** का तात्पर्य सोमवार से शुक्रवार तक कोई भी पांच दिन प्रात:10:00 बजे से सायं 5:00 बजे (भारतीय मानक समय) है और इसमें राजपत्रित अवकाश तथा भारत सरकार द्वारा घोषित आकास्मिक/अनियोजित अवकाश शामिल नहीं हैं ।

नियम 3 : नियमों का लागू होना

(क) गेल (इंडिया) लिमिटेड सुलह नियम, 2010 उन विवादों पर लागू होंगे जो किसी संविदा अथवा संविदा के रूप में परिभाषित विधिक संबंधित अथवा अन्यथा से उत्पन्न हुआ हो या संबंधित हो और जिसमें गेल (इंडिया) लिमिटेड एक पार्टी के तौर पर शामिल हो और जो किसी भी मामले से संबंधित हो परंतु हाइड्रोकार्बन, अर्थव्यवस्था, व्यापार, वित्त, सुरक्षा, निवेश, बौद्धिक सम्पदा अधिकार, प्रौद्योगिकी स्थानांतरण, रिअल एस्टेट, निर्माण, परिवहन, बीमा, समुद्रीय व्यापार आदि तक सीमित नहीं है तथा जहां पार्टियां उनके विवादों के सौहार्दपूर्ण समझौते के लिए गेल (इंडिया) लिमिटेड सुलह नियम, 2010 के लागू होने के लिए सहमत हैं ।

(ख) इन नियमों के अंतर्गत सुलह के विस्तार में घरेलू और निजी विधि प्रकृति के अंतर्राष्ट्रीय विवाद दोनों शामिल होंगे, जहां कहीं भी समझौते की संभावना है ।

(ग) मध्यस्थता अथवा न्यायिक कार्यवाहियों के लंबित होने से इन नियमों के अधीन सुलह की कार्यवाही शुरू करने पर कोई रोक नहीं होगी चाहे इन नियमों के अधीन होने वाली कार्यवाही मध्यस्थता अथवा न्यायिक कार्यवाही के समान एक ही विषयवस्तु/मामले पर ही हों ।

(घ) तथापि, ये नियम उन विवादों पर लागू नहीं होंगे जो तत्समय भारत पर लागू किसी कानून के प्रभाव से सुलह के लिए प्रस्तुत नहीं किया जा सकता हो ।

(ङ) ये नियम भारतीय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के भाग - III के अधीनस्थ और अनुपूरक होंगे और यदि कोई भिन्नता होगी तो बाद वाला पहले के ऊपर प्रभावी होगा ।

(च) ये नियम विवादों के लचीले, व्यवस्थित, त्वरित और सौहार्दपूर्ण समझौते के लिए एक साधारण मानक सुलह प्रविधियां हैं और पार्टियां आपसी सहमति से समुचित समायोजन कर सकती है । इस प्रकार आपसी सहमति से इन नियमों में हुए अंतर/विचलन को इसके अनुसरण में हुई सुलह की कार्यवाही अथवा किसी समझौता करार में किसी भी परिस्थिति में प्रारंभ से अंत तक शून्य समझा जाएगा।

(छ) पार्टियों के बीच हुए अनुवर्ती करार की बशर्ते इन नियमों के अधीन की गई सुलह को उपयोग किया जा सकेगा, भले ही सुलह निर्धारित विवाद समाधान युक्ति के अनुसार न हो अथवा संगत संविदा/करार या परिभाषित विधिक संबंध के स्वरूप के अधीन सुलह नियम का प्रावधान न हो ।

(ज) नियमों के अंतर्गत किसी पार्टी द्वारा पार्टियों के बीच लिखित तौर पर या अन्यथा संचार के किसी अन्य साधन (इलेक्ट्रानिक या कोई अन्य) उठाए गए विवाद के किसी मामले या बिंदु को "सुलह" अथवा उसका भाग नहीं माना जाएगा जब तक कि ऐसी सुलह की कार्यवाही को इन नियमों के अंतर्गत औपचारिक रूप से शामिल न किया जाए ।

नियम 4 : सुलहकर्ताओं का पैनल

(क) पार्टियों के बीच सुलहकर्ताओं की नियुक्ति के प्रयोजन से गेल का निगमित विधि विभाग इन नियमों के प्रभावी होने के तीस दिनों के अंदर सुलहकर्ताओं का एक पैनल बनाएगा और उसका रखरखाव करेगा । पैनल में अविवादित सत्यनिष्ठ और सार्वजनिक तौर पर प्रतिष्ठित व्यक्तियों को शामिल किया जाएगा ।

(ख) गेल (इंडिया) लिमिटेड के विधि विभाग द्वारा रखे जाने वाले सुलहकर्ताओं के पैनल में जिन सुलहकर्ताओं को रखा जाएगा वे स्वतंत्र व्यक्ति होंगे और वे न तो गेल (इंडिया)

लिमिटेड के कर्मचारी होंगे और न तो परामर्शदाता अथवा प्रोफेशनल अथवा सलाहकार होंगे ।

(ग) जिन व्यक्तियों के नाम पैनल में शामिल किए जाएंगे, पैनल में शामिल किए जाने से पहले उनकी सहमति ली जाएगी ।

(घ) पैनल के साथ एक अनुलग्नक होगा जिसमें सुलहकर्ताओं की योग्यता और विभिन्न क्षेत्रों में उनके प्रोफेशनल और तकनीकी अनुभव का विवरण दिया जाएगा ।

(ङ) खण्ड (क) के अंतर्गत सुलहकर्ताओं के पैनल की अवधि सामान्यत: नियुक्ति की अवधि से तीन वर्ष होगी और सुलहकर्ताओं के पैनल की अवधि बढ़ाया जाना गेल (इंडिया) लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के विवेक पर निर्भर होगा ।

(च) गेल के सुलहकर्ताओं के पैनल में शामिल किए जाने पर विचार के लिए निम्न व्यक्ति पात्र होंगे ।

(i) भारत सरकार सेवानिवृत्त सचिव/अपर सचिव या कोई अन्य समकक्ष पद

(ii) भारत में किसी केन्द्रीय सावर्जनिक क्षेत्र के उद्यम के सेवानिवृत्त अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/कार्यात्मक निदेशक

(iii) सेवानिवृत्त स्वतंत्र निदेशक जिन्होंने किसी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के निदेशक मण्डल में अपनी सेवाएं दी हों ।

(iv) इंडियन काउंसिल ऑफ आरबीट्रेशन में पंजीकृत स्वतंत्र विशेषज्ञ

(छ) गेल (इंडिया) लिमिटेड के विधि विभाग द्वारा रखे गए सुलहकर्ताओं के पैनल में किसी व्यक्ति का नाम होने मात्र से वह किसी आर्थिक लाभ अथवा पारिश्रमिक/शुल्क, अन्य सुविधा(एं) पाने का हकदार नहीं होगा केवल जब तक कि उसे वास्तव में किसी विशिष्ट सुलह कार्यवाही के लिए इन नियमों के अधीन तात्पर्यत: किसी विशिष्ट मामले अथवा विवाद के सुलह हेतु सुलहकर्ता के तौर पर नियुक्त किया जाएगा, उसे यह सुविधाएं प्राप्त होंगी ।

(ज) गेल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को सुलहकर्ताओं के पैनल में किसी नाम को जोड़ने अथवा हटाने का अधिकार है ।

(झ) किसी व्यक्ति को गेल के सुलहकर्ताओं के पैनल से हटाने का स्वत: प्रभाव सुलह हेतु संदर्भित किसी विशिष्ट विवाद(दों) से संबंधित मौजूदा समझौता परामर्श समिति से उस व्यक्ति का नाम हटाने पर नहीं पड़ेगा । बशर्ते संबंधित पार्टियां ऐसे हटाव/वापसी के लिए सहमत हों ।

(ञ) सुलहकर्ता के तौर पर नियुक्त व्यक्तियों की अयोग्यताएं :-

निम्न व्यक्तियों को सुलहकर्ताओं के पैनल में शामिल किए जाने के लिए अयोग्य माना जाएगा :-

i. कोई व्यक्ति जिसे दिवालिया घोषित किया गया है अथवा
   1. कोई व्यक्ति जिस पर दंड न्यायालय ने नैतिक पतन सहित आपराधिक आरोप लगे हैं और मामला लंबित है अथवा
   2. जिसे दंड न्यायालय द्वारा किसी अपराध जिसमें नैतिक पतन शामिल है, के लिए दोषी करार दिया गया है ।

ii. कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध समुचित अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा अनुशासनिक कार्रवाई प्रारम्भ की गई है जो लंबित है अथवा जिसके परिणाम में दंड लगाया गया है ।

iii. कोई व्यक्ति जिसका विवाद(दों) की विषयवस्तु में हितलाभ हो या संबंधित हो अथवा किसी पक्ष से संबंधित हो अथवा जो प्रतिनिधित्व कर रहे हो, उनसे संबंधित हो, जब तक कि ऐसी आपत्ति को सभी पक्ष लिखित में अस्वीकार नहीं करते । समझौता परामर्श समिति का कोई सदस्य सुलह कार्यवाही में प्रवेश से पूर्व अनुसूची- 'क' में निर्धारित तरीके से वचनबंध देगा ।

iv. ऐसा कोई कानूनी व्यवसायी जो इनमें से किसी पक्ष की ओर से किसी मुकदमे या अन्य कार्यवाही/कार्यवाहियों में उपस्थित हुआ है ।

नियम 5 : सुलहकार-संख्या एवं नियुक्ति

(क) यदि सुलह कार्यवाही रु. 5 करोड़ की राशि तक से संबंधित है तब उसमें एक सुलहकार होगा । तथापि, रु. 5 करोड़ से अधिक राशि के मामले का तीन सुलहकार के पैनल द्वारा निपटारा किया जाएगा । ऐसे सभी सुलहकार बाहर के विशेषज्ञ होंगे ।

(ख) एकमात्र सुलहकार के समक्ष सुलह कार्यवाही में गेल बाहर के विशेषज्ञ को नियुक्त करेगा ।

(ग) तीन सुलहकारों की सुलह कार्यवाही में तकनीकी, वित्त/वाणिज्य एवं विधि क्षेत्र का क्रमश: एक-एक बाहरी विशेषज्ञ होगा जिसकी नियुक्ति गेल द्वारा की जाएगी ।

(घ) गेल द्वारा बनाए गए सुलहकारों के पैनल के सुलहकार/सुलहकारों पर पक्षों की सहमति न होने की स्थिति में पक्षों को गेल द्वारा बनाए गए सुलहकारों के पैनल से इतर किसी अन्य को आपसी सहमति से सुलहकार नियुक्त करने की स्वतंत्रता होगी ।

(ङ) यदि पक्ष गेल के सुलहकारों के पैनल या बाहरी ऐसे पैनल से कोई सुलहकार नियुक्त करने में असफल रहते हैं तब पक्ष अपेक्षित संख्या में सुलहकारों की नियुक्ति हेतु फिक्की मध्यस्थम एवं सुलह अधिकरण सुलह नियमों के तहत रजिस्ट्रार, फिक्की मध्यस्थम एवं सुलह अधिकरण को संयुक्त आवेदन कर सकते हैं ।

(च) विशिष्ट सुलह कार्यवाही हेतु पक्षों द्वारा नियुक्त सुलहकार, सुलह हेतु संदर्भित विवाद(दों) के संबंध में "निपटारा सलाहकार समिति" का गठन करेगा/करेंगे और इन नियमों के अधीन सुलह कार्यवाही की जाएगी ।

(छ) यदि सुलहकार अपना नाम वापस ले लेता है अथवा कम से कम तीन लगातार नियत बैठकों/सुनवाई में अनुपस्थित रहता है अथवा बिना किसी उचित कारण के सुलह कार्यवाही में अन्यथा अनुपस्थित रहता है और पक्षों द्वारा उसे हटा दिया जाता है तब पक्ष यहां अपेक्षित उसी तरीके से दूसरे सुलहकार को नियुक्त कर सकते हैं ।

नियम 6 : सुलह का प्रारम्भ

(क) गेल अथवा गेल से निश्चित कानूनी संबंध रखने वाला कोई पक्ष संविदाकार के रूप में अथवा अन्यथा, दूसरे पक्ष से उठे किसी विवाद को निपटाना चाहता है तो वह इन नियमों के अधीन सुलह कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु दूसरे पक्ष को कम से कम एक लिखित नोटिस/आमंत्रण देगा, बेहतर होगा कि वह सुलह हेतु भेजे जाने वाले प्रस्तावित मामले के समाधान हेतु सम्प्रेषण की सामान्य अधिकृत प्रक्रिया को पूरा करने के बाद ऐसा करे ।

(ख) सुलह कार्यवाही प्रारम्भ करने के नोटिस/आमंत्रण में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित विवरण होंगे :

(i) विवाद का मुद्दा - तथ्यात्मक अथवा अन्यथा

(ii) पक्ष(क्षों) की पहचान- नाम, कार्यालय का पता, सम्पर्क ई मेल पता, टेलीफोन नंबर, अधिकृत प्रतिनिधि आदि ।

(iii) इन नियमों के तहत सुलह का नोटिस देने वाले पक्ष की सहमति ।

(iv) सुलह हेतु भारतीय मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम, 1996 के संगत कोई अन्य निबंधन एवं शर्त ।

(ग) उप नियम (क) के तहत सुलह हेतु लिखित नोटिस/आमंत्रण प्राप्त करने वाला(ले) पक्ष, सुलह हेतु लिखित नोटिस/आमंत्रण की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर इन नियमों के तहत सुलह कार्यवाही हेतु अपनी सहमति सूचित करेगा/करेंगे और गेल लिमिटेड के निगमित विधि विभाग द्वारा बनाए गए सुलहकारों के पैनल से सुलहकार(रों) या ऐसे अन्य सुलहकार(रों) के नाम, जैसा उक्त पक्ष उचित समझे, का सुझाव देगा(देंगे) ।

(घ) यदि दूसरे पक्ष(क्षों) जिन्हें उप नियम (क) के अधीन सुलह हेतु लिखित नोटिस/आमंत्रण दिया गया है, से उपिनयम (ग) के तहत उत्तर आमंत्रण के 30 दिनों के भीतर अथवा सुलह हेतु लिखित नोटिस आमंत्रण में दी गई ऐसी अवधि, जो भी ज्यादा हो, में प्राप्त नहीं होता है, तब सुलह के उस आमंत्रण को अस्वीकृत माना जाएगा ।

(ङ) इन नियमों के तहत सुलह कार्यवाही उस दिन प्रारम्भ हुई मानी जाएगी जिस दिन सुलह हेतु आमंत्रण प्राप्त करने वाला पक्ष ऐसे आमंत्रण की प्राप्ति को लिखित में सूचित करता है । दो से ज्यादा पक्षों की सुलह कार्यवाही के मामले में ऐसी कार्यवाही को उस दिन

प्रारम्भ हुआ माना जाएगा जिस दिन एक पक्ष से सुलह हेतु आमंत्रण की स्वीकृति की अंतिम सूचना प्राप्त हुई है ।

(च) यदि पक्ष उप नियम (ड.) के अधीन दूसरे पक्ष के उत्तर की प्राप्ति के 90 दिनों के भीतर अथवा पक्षों के बीच यथा सहमत ऐसी विस्तारित समय अवधि में इसमें जो भी ज्यादा हो, सुलहकार(रों) की नियुक्ति और समझौता सलाहकार समिति का गठन करने पर सहमत होने में विफल रहते हैं तब सुलह के माध्यम से विवाद निपटारे पर प्रयास असफल समझे जाएंगे ।

नियम 7 : सुलह कार्यवाही

(क) समझौता सलाहकार समिति अपने गठन के 6 कार्यदिवसों के भीतर पक्षों से संक्षिप्त लिखित बयान प्रस्तुत करने का अनुरोध कर सकती है जिसमें विवाद की सामान्य प्रकृति और विवाद के बिंदुओं का विवरण हो । यदि पक्ष चाहे तो कोई अन्य दस्तावेज भी प्रस्तुत कर सकता है ।

(ख) समझौता सलाहकार समिति पक्षों को संबंधित पक्षों की स्थिति और उसके समर्थन में तथ्य एवं आधार का लिखित विवरण प्रस्तुत करने के लिए भी अनुरोध कर सकती है और पक्ष उचित समझे तो उसके साथ कोई दस्तावेज और अन्य साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है । पक्षों को विवाद के मामले पर आपस में किए गए संबंधित पूर्व के पत्राचार, यदि कोई हो, की प्रतियां देने के लिए भी कहा जा सकता है ।

(ख) विवाद के सौहार्दपूर्ण समाधान हेतु पक्ष कोई प्रस्ताव या वैकल्पिक प्रस्ताव रखने हेतु स्वतंत्र है । समझौता सलाहकार समिति पक्षों को बिना सुने एवं बिना उनकी सलाह के कोई प्रस्ताव नहीं बनाएगी ।

(ग) समझौता सलाहकार समिति का भरसक प्रयास होगा कि वह विवाद का निपटारा अपना प्रस्ताव रखने से पहले पक्षों के प्रस्तावों के माध्यम से ही करे । फिर भी, जब भी यह बहुत आवश्यक समझा जाए अथवा पक्षों के संयुक्त अनुरोध पर, समझौता सलाहकार समिति सुलह कार्यवाही के दौरान किसी भी समय कोई प्रस्ताव-मौखिक या अन्यथा बनाएगी ।

(घ) समझौता सलाहकार समिति पक्षों की पहली बैठक सम्बद्ध पक्षों से सलाह करके सुविधाजनक स्थान एवं समय पर कार्यविधि उपनियम (क) में उल्लिखित दस्तावेजों की प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर बुलाएगी ।

(ड.) पहली बैठक में पक्षों के समुचित परामर्श और सहमति से सुलह कार्यवाही की अनुमानित अवधि एवं मोटे तौर पर कार्यसूची तय की जा सकती है ।

(च) समझौता सलाहकार समिति पक्षों को सुलह कार्यवाही के प्रयोजन हेतु संबंधित किसी भी तरह की सूचना या दस्तावेज देने के लिए, जिस भी तरीके को उचित समझे, संसूचित करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन ऐसे पक्ष को उस अनुरोध को बिना उसका कारण बताए, अस्वीकार करने की स्वतंत्रता होगी ।

(छ) समझौता सलाहकार समिति, जहां तक संभव हो, मामले दर मामले के आधार पर सुलह कार्यवाही आगे बढाए, परन्तु इससे पूर्व पक्षों की सहमति से सम्बद्ध मामलों की उचित पहचान कर ले ।

(ज) समझौता सलाहकार समिति, पक्षों की सहमति से संदर्भित विवाद(दों) के संबंध में सौहार्दपूर्ण समाधान पर पहुंचने में समिति की सहायता हेतु महत्वपूर्ण गवाह(हों) को बुला सकती है ।

(झ) प्रत्येक पक्ष संक्षिप्त बयान और सलाहकार समिति के गठन से पूर्व दूसरे पक्ष(क्षों) को भेजे गए सभी अन्य दस्तावेजों की प्रति प्रस्तुत करेगा ।

(ण) समझौता सलाहकार समिति संदर्भित विवाद(दों) के सौहार्दपूर्ण समाधान हेतु पक्षों को आपस में मिलने एवं विचार विमर्श करने के लिए उत्साहित करेगी ।

(त) भारतीय मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 67 में दिए अनुसार सुलह कार्यवाही के किसी समुचित स्तर पर समझौता सलाहकार समिति मौखिक सुनवाई और मौखिक या लिखित में सुझाव रखने का अवसर भी प्रदान करेगी ।

नियम 8 : प्रतिनिधित्व, स्थान एवं अन्य सामान्य सिद्धांत

(क) इन नियमों के तहत सुलह कार्यवाही में अधिवक्ता को भाग लेने की अनुमति नहीं होगी और पक्ष अपना मामला स्वयं रखेंगे ।

(ख) तथापि पक्ष अपने मामले में दलील देने के लिए अपने कार्यालय के विधिवत् प्राधिकृत विधि अधिकारी को नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र है ।

(ग) इन नियमों के अधीन सुलह कार्यवाही गेल इंडिया लि. के कार्यालय, 16 भीकाएजी कामा प्लेस, आर. के. पुरम, नई दिल्ली - 110066 पर अथवा पक्षों की आपसी सहमति पर किसी अन्य स्थान पर की जा सकती है ।

(घ) पक्षों का समझौता सलाहकार समिति के समक्ष अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए समान अवसर दिया जाएगा और उक्त समिति यह सुनिश्चित करने के लिए अपना भरसक प्रयास करेगी कि सुलह कार्यवाही मैत्रीपूर्ण एवं सहायक तरीके से की जाएं ।

(ङ) पक्षों के अभ्यावेदन मौखिक अथवा लिखित में हो सकते हैं और जब तक कि पक्षों द्वारा अन्यथा नियत न किया हो, बैठक/सुनवाई के कार्यवृत्त विस्तृत सामान्य शब्दावली में संक्षिप्त रूप में रिकार्ड किए जाएं, तथापि, बिना विरोधात्मक कथनों/घटनाचक्र, यदि कोई हो, को रिकार्ड किए बैठक के कार्यवृत्त यदि लिखित में रिकार्ड किए हों तब उनकी प्रति ऐसी प्रत्येक बैठक/सुनवाई के 3 दिनों के भीतर पक्षों को भेज दी जाएंगी ।

(च) यह सुनिश्चित करने के लिए पूरे प्रयास किए जाएंगे कि सुलह कार्यवाही समयबद्ध तरीके से चले, तथापि, ऐसी कार्यवाही के प्रक्रियात्मक लचीलेपन को बिना प्रभावित किए ऐसा होना चाहिए ।

नियम 9 : समझौता सलाहकार समिति की भूमिका

(क) समझौता सलाहकार समिति का प्रयास पक्षों द्वारा विवाद(दों) के स्वैच्छिक समाधान को सुगम बनाने का होगा, और प्रत्येक पक्ष आसानी से अपने विचार दूसरे(रों) पक्ष को सम्प्रेषित कर सके, समिति पक्षों को मुद्दे पहचानने, गलतफहमी कम करने, प्राथमिकताओं को स्पष्ट करने, समझौते के क्षेत्रों को तलाशने और विवाद(दों) को सुलझाने के प्रयास में राय बनाने में सहायता करेगी और इस पर बल देगी कि पक्ष जिम्मेदारीपूर्वक

निर्णय ले जो उन्हें प्रभावित करेंगे । वह/वे पक्षों पर समझौते की किसी/किन्हीं शर्तों को नहीं थोपेंगे ।

(ख) समझौता सलाहकार समिति वस्तुनिष्ठता, निष्पक्षता और न्याय के सिद्धांतों को अपनाएगी और पक्षों को एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और सम्मानजनक तरीके से विवाद(दों) के सौहार्दपूर्ण समाधान तक पहुंचने में सहायक बनेगी ।

(ग) समझौता परामर्श समिति सुलह कार्यवाही भारतीय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के भाग-III के अनुरूप चलाएगी और ये नियम ईष्टतम संभव सीमा तक लेकिन समुचित समायोजन सहित लचीले, जब भी अपेक्षित हो अथवा पक्ष संयुक्त रूप में अनुरोध करें, प्रभावी होंगे ।

(घ) समझौता परामर्श समिति का व्यापक दृष्टिकोण विवादों का त्वरित, दक्ष और सौहार्दपूर्ण समाधान करना होगा, तथापि, ऐसा करते हुए वस्तुनिष्ठता, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत और विधि के स्थापित सिद्धांत प्रभावित नहीं होंगे ।

(ङ) समझौता परामर्श समिति एक मार्गदर्शक की तरह ज्यादा कार्य करेगी, न कि न्यायाधीश/अंपायर/मध्यस्थ की तरह और शामिल पक्षों पर कोई विचार नहीं थोपेगी ।

नियम 10 : समय सीमा

(क) सुलह कार्यवाही में समझौता परामर्श समिति की सुलहकर्ता के रूप में सुनवाई/बैठकों की कुल संख्या 5 से ज्यादा नहीं होगी, लेकिन इसे पक्षों के परामर्श से और उनकी आपसी सहमति से बढाया जा सकता है ।

(ख) एक सुलहकर्ता के रूप में समझौता परामर्श समिति सम्पूर्ण सुलह कार्यवाही को सात माह की समय सीमा में निपटाने का प्रयास करेगी, लेकिन इसे पक्षों के परामर्श और सहमति से बढाया जा सकता है लेकिन वह बढ़ी अवधि नौ माह में ज्यादा नहीं होगी ।

(ग) ऊपर होते हुए भी, उपरोक्त नियत नौ माह की अवधि के बाद हस्ताक्षरित हुआ एक समझौता करार शून्य और अप्रवर्तनीय नहीं होगा सिर्फ इस आधार पर कि उस करार पर हस्ताक्षर नियत नौ माह की अवधि के पश्चात हस्ताक्षर हुए हैं ।

नियम 11 : पारिश्रमिक एवं लागत

(क) सुलहकर्ता को प्रत्येक सुनवाई/बैठक के लिए रु.10,000/- एवं परिवहन शुल्क रु.1500/- (स्वयं की गई व्यवस्था के मामले में) की राशि का भुगतान किया जाएगा । पूरी सुलह कार्यवाही हेतु सचिवीय सेवाओं के लिए पक्षों द्वारा एकमुश्त रु.10,000/- (रुपए दस हजार मात्र) की राशि का भुगतान किया जाएगा ।

(ख) सुनवाई/बैठक शुल्क और सचिवीय सेवाओं के शुल्क के अलावा सुलह कार्यवाही के प्रयोजन से सुलहकर्ता के रेलमार्ग/वायुमार्ग का किराया, आवास, स्थानीय यात्रा, यदि कोई हो, पर किए गए खर्च का वहन भी पक्ष करेंगे ।

(ग) उपनियम (ग) के अधीन भारतीय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के भाग-III की धारा 78 की उपधारा (2) में उल्लिखित सुलह की लागत, सुलह कार्यवाही से संबंधित सुलहकर्ताओं का शुल्क एवं समझौता परामर्श समिति द्वारा किए गए अन्य खर्च और समझौता करार का खर्च, समान रूप में पक्ष वहन करेंगे जब तक कि समझौता परामर्श समिति पक्षों की सहमति से कारण देते हुए लागत के अलग प्रभाजन न दे ।

(घ) पूर्व उपनियम (च) में उल्लिखित शुल्क और खर्च सहित सुलह की लागत और समझौता करार तैयार करने की लागत, भारतीय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के भाग-III की धारा 78 द्वारा यथा अपेक्षित समझौता परामर्श समिति द्वारा समझौता करार में नियत की जाएगी ।

(ङ) भारतीय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के भाग-III और इन नियमों के अनुरूप समझौता परामर्श समिति द्वारा यथा नियत सुलह की लागत का समझौता करार पर हस्ताक्षर होने के दिन से 30 कार्यदिवसों में, पक्षों द्वारा भुगतान किया जाएगा ।

(च) समझौता परामर्श समिति, विकल्प के रूप में, भारतीय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 29 द्वारा निर्धारित किए गए तरीके से अपेक्षित शुल्क और खर्च को पक्षों को अग्रिम रूप में जमा करने के लिए कह सकती है ।

नियम 12 : सूचना का प्रकटीकरण

जब सुलह कार्यवाही का एक पक्ष समझौता परामर्श समिति को विवाद के किसी मुद्दे से संबंधित कोई सूचना इस विशिष्ट शर्त के साथ देता है कि उस सूचना को गोपनीय समझा जाए तब समझौता परामर्श समिति दूसरे पक्ष(क्षों) को वह सूचना प्रकट नहीं करेगी ।

नियम 13 : पक्षों का सहयोग

(क) पक्ष समझौता परामर्श समिति का सद्भाव से सहयोग करेंगे और, विशेष रूप में समझौता परामर्श समिति के लिखित सामग्री प्रस्तुत करने, साक्ष्य देने, स्पष्टीकरण देने, बैठक/सुनवाई में उपस्थित होने आदि के किसी अनुरोध का पालन करने का पूरा प्रयास करेंगे ।

(ख) चूंकि सुलह विवाद सौहार्दपूर्ण समाधान का तंत्र है, अत: पक्ष विरोधात्मक भूमिका नहीं निभाएंगे, बल्कि इसके स्थान पर उचित कानूनी स्थिति को बिना बिगाड़े दूसरे पक्ष(क्षों) के दृष्टिकोण को समायोजित करने का हर संभव प्रयास करेंगे ।

(ग) पक्ष विवाद के त्वरित, कार्यक्षम और अब तक परस्पर स्वीकार्य तथा सौहार्दपूर्ण समाधान हेतु ईष्टतम सहयोग करने का हर संभव प्रयास करेंगे ।

(घ) पक्ष किसी रूप में या किसी तरह के प्रलोभन के माध्यम से सुलह प्रक्रिया या समाधान परामर्श समिति या सुलहकर्ता(ओं) को अनावश्यक रूप से प्रभावित करने की कोई कोशिश नहीं करेंगे और स्वयं गरिमामय, ईमानदारी एवं निष्ठा का आचरण करेंगे ।

नियम 14 **: समझौता करार**

(क) सुलहकर्ता शामिल पक्षों को सुनने एवं उनसे विचार-विमर्श के पश्चात एक संभव समझौते की शर्तों का मसौदा तैयार करेगा और उन्हें पक्षों का उनके विचार/अवलोकन/टिप्पणी हेतु प्रस्तुत करेगा/करेंगे ।

(ख) यदि समझौते की शर्तों के मसौदे का कोई भाग किसी पक्ष को स्वीकार्य नहीं हो तब संभव समाधान हेतु आगे बैठक/सुनाई की जाएंगी जब तक कि परस्पर स्वीकार्य सुलह करार को अंतिम रूप प्राप्त नहीं होता है ।

(ग) जब सुलह हेतु संदर्भित किसी एक या कुछ मुद्दों के संबंध में ही आम सहमति बनी हो तब उक्त मुद्दे(द्दों) के विषय में समझौता करार निष्पादित किया जा सकता है जो सुलह हेतु संदर्भित शेष अन्य मुद्दों के विषय में ऐसा समझौता निष्पादित नहीं होने के कारण मात्र से पक्षों पर अबाध्यकार नहीं होगा ।

(घ) समझौता करार में इस प्रभाव का एक कथन होगा कि प्रत्येक व्यक्ति जो इस पर हस्ताक्षर कर रहा है (i) वह जिस संबंधित पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहा है उसने पूर्णत: प्राधिकृत किया है; (ii) उसने समझौते की विषयवस्तु को पूरी तरह से समझ लिया है और (iii) इस पर हस्ताक्षर बिना किसी दबाव, अनावश्यक प्रभाव के स्वतंत्रता और सम्मति से कर रहा हूं ।

(ङ) जब एक समझोता करार हस्ताक्षरित हो जाता है तब वह अंतिम होगा और पक्षों पर बंधनकारी होगा और व्यक्ति क्रमश: उसके तहत/माध्यम से दावा करेगा ।

(च) सुलहकर्ता समझौता करार को प्रमाणित करेगा/करेंगे और उसकी पक्षों की संख्या के अनुरूप मूल प्रतियां बनाएगा/बनाएंगे और प्रत्येक पक्ष को हस्ताक्षरित मूल करार की मूल प्रतियां दी जाएंगी ।

नियम 15: साक्ष्य की गोपनीयता और स्वीकार्यता

(क) समझौता परामर्श समिति या सुलहकर्ताओं में से कोई (कई सुलहकर्ताओं की समिति की स्थिति में) और पक्ष सुलह कार्यवाही के दौरान दी गई सभी सूचनाओं, प्रस्तुत किए दस्तावेजों, पेश किए गए साक्ष्य को गोपनीय रखेगा । गोपनीयता समझौता करार में भी कायम रहेगी, सिवाए उस स्थिति के जब कार्यान्वयन एवं प्रवर्तन हेतु इसे प्रकट किया जाना आवश्यक है ।

(ख) इस नियम के अधीन गोपनीयता की सीमा प्रस्ताव, वैकल्पिक प्रस्ताव, पक्षों के बीच हुए पत्रव्यवहार, किसी भी पक्ष और समझौता परामर्श समिति या किसी भी सुलहकर्ता (बहु सुलहकर्ता समिति के मामले में) के बीच हुए पत्रव्यवहार, बैठक/सुनवाई के कार्यवृत्त, मसौदा समझौता करार, विशेषज्ञ का मत, गवाहों के साक्ष्य आदि तक होगी ।

(ग) सुलह कार्यवाही के दौरान समझौता परामर्श समिति को प्रस्तुत की गई जानकारी का कोई भी भाग, जमा किए गए दस्तावेज, उत्पन्न साक्ष्य, आदान-प्रदान किए गए सम्प्रेषण, व्यक्त किए गए विचार, दिए गए सुझाव/स्वीकारोक्ति, किसी पार्टी द्वारा किसी प्रस्ताव को स्वीकार किए जाने की रूचि की अभिव्यक्ति के तथ्य को समझौता अथवा न्यायिक कार्यवाही में साक्ष्य के किसी रूप में उपयोग नहीं किया जाएगा ।

(घ) साक्ष्य की गोपनीयता एवं स्वीकरण के उपरोक्त प्रावधान उन विवादों से संबंधित अधिकरण एवं न्यायिक कार्यवाहियों पर भी लागू होंगे जो उस सुलह कार्यवाहियों के विषय नहीं हैं ।

(ड) कोई सुलहकर्ता सुलह कार्यवाही के दौरान उसके द्वारा सद्भाव से किए गए अथवा न किए गए किसी कार्य के लिए दीवानी अथवा फौजदारी कार्रवाई हेतु दायी नहीं होगा और न ही कोई पक्ष किसी मुकदमे या न्यायालय की किसी कार्यवाही में, सुलह कार्यवाही के दौरान उसके द्वारा प्राप्त की गई सूचना या उसके द्वारा की गई कार्रवाई का उसके द्वारा प्रचार किए मसौदे या रिकार्ड के विषय में, या उसे दिखाई गई के लिए गवाही हेतु बुलाएगा ।

नियम 16: विवाचन अथवा न्यायिक कार्रवाई

(क) इन नियमों के अधीन सुलह कार्यवाही के दौरान/लंबित स्थिति में, पक्ष विवाद के विषय में किसी विवाचन या न्यायिक कार्यवाही की पहल या कोई कदम नहीं उठाएगा क्योंकि वह विवाद लंबित सुलह कार्यवाही का एक विषय है ।

(ख) उपरोक्त उप नियम (क) के शर्ताधीन, इन नियमों के अधीन सुलह हेतु संदर्भित कोई विवाद शामिल पक्षों के अधिकारों और हितों पर, विशेषकर पक्षों द्वारा विवाद समाधान के अन्य उपायों जैस के मध्यस्थम, मुकदमे आदि का आश्रय लेने के अधिकारों पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले होगा ।

नियम 17: विक्रेता शिकायत निवारण समिति

(क) एक बार जब पक्ष आम राय बना लेते है और समझौता परामर्श समिति मसौदा समझौता करार तैयार कर लेती है, तो मसौदा समझौता परामर्श समिति गेल के निगमित विधि विभाग के गेल के बोर्ड की विक्रेता शिकायत निवारण समिति के समक्ष उसे विचारार्थ प्रस्तुत करेगी ।

(ख) गेल बोर्ड की विक्रेता शिकायत निवारण समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :

i स्वतंत्र सदस्य (अध्यक्ष)
ii निदेशक (वित्त)
iii निदेशक (परियोजना)
iv एक अतिरिक्त सदस्य के रूप में सम्बद्ध कार्यात्मक निदेशक, जब भी अपेक्षित हो, सहयोजित करना ।

(ग) विक्रेता शिकायत निवारण समिति का सुलह के किसी मुद्दे पर और गेल द्वारा तथ्य या शामिल विधि के किसी मुद्दे पर लिए गए निर्णय की स्थिति में, जहां तक गेल का संबंध है, सुलह की शर्तें एवं समझौता करार की शर्तें अंतिम होंगी ।

(घ) विक्रेता शिकायत निवारण समिति की प्राथमिक भूमिका यह सुनिश्चित करना होगा कि गेल से संबंधित विवाद जहां तक संभव हो, तुलनात्मक रूप से ज्यादा समय एवं खर्चीली अधिकरण या न्यायिक कार्यवाहियों के स्थान पर सुलह को भेजे जाए और सुलह के माध्यम से उनका समाधान हो ।

नियम 18: सुलह कार्यवाहियों की समाप्ति

(क) सुलह कार्यवाहियां समाप्त हो जाती है:

i करार की तिथि को जब पक्ष समझौता करार पर हस्ताक्षर कर देते हैं: या

ii जब पक्षों से परामर्श करने के बाद समझौता परामर्श समिति, इस प्रभाव की लिखित घोषणा करती है कि सुलह पर आगे प्रयासों पर और औचित्य नहीं है, ऐसी घोषणा की तिथि को : या

iii जब पक्ष समझौता परामर्श समिति को संबोधित इस प्रभाव की लिखित घोषणा करते है कि सुलह कार्यवाही समाप्त की जाती है, ऐसी घोषणा की तिथि को; अथवा

iv जब एक पक्ष दूसरे पक्ष(क्षों) और समझौता परामर्श समिति, यदि नियुक्त हो, को इस प्रभाव की लिखित घोषण करें कि सुलह कार्यवाही समाप्त की जाती है, ऐसी घोषणा की तिथि को ।

नियम 19: विविध

(क) कोई भी सुलहकर्ता सुलह कार्यवाही के विवाद के विषय से संबंधित किसी मध्यस्थम या न्यायिक कार्यवाही में किसी पक्ष के प्रतिनिधि या परामर्शदाता के रूप में कार्य नहीं करेगा । इसी प्रकार, कोई भी पक्ष अथवा उनका प्राधिकृत प्रतिनिधि किसी वैकल्पिक विवाद समाधान कार्यवाही अथवा किसी प्रकार की न्यायिक कार्यवाही में सुलहकर्ता के प्रतिनिधि या परामर्शदाता का कार्य नहीं करेगा ।

(ख) पक्ष किसी वैकल्पिक विवाद समाधान अथवा न्यायिक कार्यवाही में सुलहकर्ता को पेश नहीं करेंगे ।

(ग) इन नियमों के अधीन सुलह कार्यवाही की अधिकृत भाषा अंग्रेजी होगी जब तक कि पक्ष किसी अन्य भाषा के लिए सहमत नहीं होते ।

अनुसूची- क

समझौता परामर्श समिति के सदस्य द्वारा स्वीकृति और स्वतंत्र रहने की घोषणा

मैं, अधोहस्ताक्षरी, एतद्द्वारा तात्कालिक प्रभाव से समझौता परामर्श समिति के सदस्य के रूप में सेवा देने हेतु सहमत हूं और एतद्द्वारा निम्नलिखित घोषणा करता हूं :

i मैं कानून की अपेक्षाओं, विशेषकर मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 और गेल (इंडिया) लिमिटेड सुलह नियम, 2010 से परिचित हूं ।

ii मैं समझौता परामर्श समिति के सदस्य के रूप में कार्य हेतु उपलब्ध हूं और मैं तात्कालिक सुलह कार्यवाही में शामिल पक्षों से स्वतंत्र हूं और सुलह कार्यवाही की संदर्भाधीन संविदा के किसी भाग या विषयवस्तु में मेरा कोई हित-वित्तीय अथवा अन्यथा-नहीं है ।

iii मेरा सुलह कार्यवाही की संदर्भाधीन संविदा अथवा विषयवस्तु से पहले से किसी तरह या किसी क्षमता में कोई संबंध नहीं रहा है जो विवाद का निष्पक्षता से समाधान करने में मेरी सक्षमता/स्वतंत्रता पर विपरीत प्रभाव डाले ।

iv सुलह हेतु जो शुल्क एवं अन्य सुविधाओं का प्रस्ताव है, उसे मैंने स्वीकार किया है, वह नियत रहेगा और किसी भी परिस्थिति में उनमें कोई परिवर्तन/परिवर्धन हेतु मेरी ओर से कोई मांग नहीं की जाएगी ।

तिथि

(हस्ताक्षर)
नाम :
पता: